

प्रेमपुत्र  
3.12.2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
श्रीकाशम पुत्र नारायण कुच्छर कालोली	बी म	राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 285/2021

GCMS No. 2021/1062

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इन्जिनियरिंग जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
इस हुकम की  
तारीख में जारी  
हू

31/12/2021

वादी श्री श्रीकाशम पुत्र नारायण  
जाति कुच्छर निवासी कालोली द्वारा आज "प्रशासन  
गांवों के संग अभियान 2021" कैम्प ग्राम पंचायत प्रेमपुत्र  
में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078  
ग्राम कालोली पटवार मण्डल नायगिरी के खाता  
नम्बर 26. 54 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि  
श्रीकाशम पुत्र नारायण

दर्ज है जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम श्रीकाशम पुत्र नारायण

है, तथा इसी अनुसार  
राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है।  
जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न.  
008374800266 आधार नम्बर 3363 1110 2835  
मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज

की छाया प्रति प्रस्तुत की है।  
इस संबंध में हल्का पटवारी नायगिरी भूअनि प्रमाण  
एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट  
तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं  
प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार  
राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये  
जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।  
पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल  
हो।



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)

1760-1162